न्यायालयः सिविल जज(जू.डि.)/जे.एम. हसनपुर, अमरोहा

परिवाद संख्या– ७९१/२०१६

श्रीमती माया देवी बनाम चन्द्रपाल आदि

थाना–हसनपुर

आदेश

२९.११.२०१६–पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। परिवादिनी को विपक्षीगण के तलबी के बिन्दु पर पूर्व की तिथि पर सुना जा चुका है।

सक्षेंप में परिवादिनी का कथानक इस प्रकार है कि मुल्जिमान चन्द्रपाल, रोहित, सरोज, गीता, अनीता, ललिता व विनोद उससे रंजिश रखते हैं। दिनांक ०८.०४.२०१६ को समय लगभग आठ बजे सुबह वह अपने घर पर अकेली थी तभी मुल्जिमान उपरोक्त उसके घर में जबरदस्ती घुस आये तथा आते ही उसको गन्दी–गन्दी गालियां देना शुरू कर दिया। उसने गालियां देने को मना किया तो मुल्जिमान ने उसको लात घूसों से मारना पीटना शुरू कर दिया। मारपीट के दौरान मुल्जिमान सोराज ने उसके गले की सोने की चैन व पाजेब जबरदस्ती छीन ली। चन्द्रपाल ने धक्का देकर उसको जमीन पर गिरा दिया तथा उसको बेइज्जत करने के इरादे से उसके ब्लाउज फाड दिये तथा छाती पर भी हाथ चलाया। मुल्जिम रोहित ने उसके नाजुक अंग पेशाब वाली जगह पर लातें मारीं। उसके काफी गुम चोटें आयी। उसके ब्लाउज में ५५००/रूपये रखे थे जो मुल्जिमान गीता ने छीन लिये। उसके शोर पर सतपाल व धर्मपाल तथा उसके पति मोहर सिंह व आस पास केक अनेक लोग आ गये जिन्होंने उसको मुल्जिमान से बचाया। जाते जाते मुल्जिमान को जान से मारने की धमकी देते चले गये।

परिवादिनी ने अपने परिवाद कथानक के समर्थन में पुलिस अधीक्षक को दिये गये प्रार्थना पत्र की प्रति व डाक की रसीद धारा २०० दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत स्वयं को तथा धारा २०२ दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत सतपाल उर्फ समरपाल व धर्म सिंह को परीक्षित कराया गया है।

परिवादिनी को सुना तथा बयान अन्तर्गत धारा २०० व २०२ दण्ड प्रक्रिया संहिता का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि परिवादिनी द्वारा अपने परिवाद में विपक्षीगण द्वारा उसके घर में घुसकर गाली गलौंच करने, उसके साथ छेड़छाड करने, अश्लील हरकतें करने, उसको जमीन पर गिराकर लात घूसों से मारपीट करने, लूटपाट करने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। परिवादिनी के परिवाद कथन एवं परिवादिनी के बयान अन्तर्गत धारा २०० दण्ड प्रक्रिया संहिता, साक्षीगण के बयान अन्तर्गत धारा २०२ दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं परिवादिनी द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा २०० दण्ड प्रक्रिया संहिता में किये गये विशिष्ट नामोल्लेख के आधार पर विपक्षीगण चन्द्रपाल, रोहित व सरोज द्वारा परिवादिनी के साथ गाली गलौंच करते हुए उसके साथ मारपीट करने व उसे जान से मारने की धमकी देने का प्रथम दृष्टया अपराध कारित किया जाना परिलक्षित होता है। ऐसी स्थिति में विपक्षीगण चन्द्रपाल, रोहित व सरोज को अपराध अन्तर्गत धारा ३२३,५०४,५०६ भारतीय दण्ड संहिता में विचाराणार्थ तलब किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण चन्द्रपाल, रोहित व सरोज को धारा ३२३,५०४,५०६ भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत विचाराणार्थ तलब किया जाता है। परिवादिनी द्वारा सूची गवाहान प्रस्तुत किये जाने के उपरांत अभियुक्तगण जरिये समन तलब हों। परिवादिनी आवश्यक पैरवी अन्दर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते हाजरी अभियुक्तगण दिनांक ०२.०१.२०१७ को पेश हो।

सिविल जज(जू.डि.)/जे.एम.

हसनपुर

२९.११.२०१६